

## n̄ j k v/; k; % okf. kfT; d dj

### 2-1 ys[kki j h{kk i fj . kke

वर्ष 2014–15 में 52 में से 20<sup>1</sup> कार्यालयों के मूल्य संवर्धित कर/विक्रय कर/प्रवेश कर निर्धारण और अन्य अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान 176 प्रकरणों में ₹ 32.90 करोड़ के करों का न्यून निर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं शामिल हैं जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत rkfydk 2-1 में वर्गीकृत हैं:

#### rkfydk&2-1

। - 0-	J s kh	i adj. kk	j kf' k
1	^eW; l df/kh dj ds vr xl r dj fu/kkj . k i z kkyh^ पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	12-13
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	92	3.47
3	गलत छूट/कटौतियों प्रदाय किया जाना	24	0.66
4	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	11	1.66
5	कर योग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण	11	0.88
6	अन्य अनियमितताएं	37	14.10
; kx		176	32-90

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 34 प्रकरणों में ₹ 1.89 करोड़ के न्यून कर निर्धारण स्वीकार किया गया।

प्रारूप कंडिका और निष्पादन लेखापरीक्षा के जारी किए जाने के पश्चात् शासन द्वारा 6 प्रकरणों में ₹ 25.11 लाख का वसूली सूचित की गई।

^eW; l df/kh dj ds vr xl r dj fu/kkj . k i z kkyh^ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 12.13 करोड़ का वित्तीय प्रभाव है और कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें ₹ 1.14 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

<sup>1</sup> तीन उपायुक्त, सात सहायक आयुक्त और 10 वाणिज्यिक कर अधिकारी को शामिल करते हुए

2-2 ^eM; | df/ktr dj %ewl ad-h ds vrxtR dj fu/kkj.k r=^ ij  
fu"i knu ys[kki jh{k

ej[ ; kd k%

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे में लाने हेतु छ.ग.मू.सं.क अधिनियम के धारा 57क के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

%dfMdK 2-2-8%

- अवधि 2011–12 से 2014–15 के दौरान राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक घट गयी जबकि पंजीकृत व्यवसायियों और कर की दर में वृद्धि हुई।

%dfMdK 2-2-9%

- 2008–09 से 2013–14 के मध्य शासन ने स्व कर निर्धारण की समय सीमा में सात से 48 माहों की वृद्धि की। इसी प्रकार, 2008–09 से 2010–11 की अवधि के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत होने वाले कर निर्धारण में 21 से 31 माहों की समय सीमा में वृद्धि की गई। इस प्रकार निर्धारण की अवधि अत्याधिक बढ़ाने से कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

%dfMdK 2-2-14%

- आयुक्त द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में छ.ग.मू.स.क. अधिनियम के धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया गया। आगे वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत स्व कर निर्धारणों का जाँच हेतु चयन किया गया।

%dfMdK 2-2-15%

- विभाग द्वारा ऐसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी का कोई निगरानी प्रणाली मौजूद नहीं था।

%dfMdK 2-2-17%

- तीन कार्यालयों में चार व्यवसायी के प्रकरणों में कर के प्रशमन के लिए संविदा का गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 21.82 लाख हुआ।

%dfMdK 2-2-18%

- 11 कार्यालयों के 5951 व्यवसायियों में से 1430 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 26 प्रकरणों में माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की न्यून दर के प्रयोग करने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 9.16 करोड़ हुआ।

%dfMdK 2-2-19%

- छ: कार्यालयों के 2766 व्यवसायियों में से 874 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान छ: प्रकरणों में आगत कर की अनियमितताएं जैसे अनियमित/अपात्र आगत कर, अधिक आगत कर ₹ 44.89 लाख पाई गई।

%dfMdK 2-2-20%

- भाड़ा, लाभ इत्यादि को शामिल करने के पश्चात संकर्म संविदा में प्रयोग होने वाले सामग्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य आवर्त ₹ 33.63 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयीन निर्णय एवं शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कर योग्य आवर्त का निर्धारण कुल

प्राप्तियों में से मजदूरी से संबंधित व्यय का घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण ₹ 46.55 लाख हुआ।

%dfMdk 2-2-24%

- 12 कार्यालयों के 2147 व्यवसायियों में से 1282 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 20 व्यवसायियों के प्रकरण में अन्तराज्यीय विक्रय में गलत छूट माल अंतरण, पश्चावर्ती बिक्री तथा गलत फार्मा पर प्रदाय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर का अनारोपण / कम आरोपण ₹ 1.68 करोड़ हुआ।

%dfMdk 2-2-25%

## 2-2-1 i Lrkouk

कर प्रशासन में दक्षता लाने की दृष्टि से, व्यवसायियों में प्रतियोगिता का समान अवसर और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु मूल्य संवर्धित कर छत्तीसगढ़ राज्य में 2006 में लागू किय गया। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005, (छ.ग.मू.सं.क.अधि.) के प्रत्येक स्तर पर विक्रय कर का आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण प्रावधानित करता है। माल निर्माण की प्रक्रिया और वितरण श्रृंखला में विभिन्न चरणों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचता है। छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत आगत कर की छूट, विक्रय पर कर के आरोपण के साथ प्रत्येक स्तर पर गुणज कराधान के होने वाले प्रभाव को शून्य करता है। इस प्रकार सभी पंजीकृत व्यवसायी प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन पर ही कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

### 2-2-1-1 i thdj.k dh vko'; drk

एक व्यवसायी जो कम से कम एक लाख रूपये मूल्य का माल आयात करता है और जिसका आवर्त्त वर्ष के दौरान दो लाख रूपये से अधिक है, राज्य के भीतर कम से कम एक लाख रूपये मूल्य का माल निर्माण वर्ष के दौरान करता है और जिसका आवर्त्त दो लाख रूपये से अधिक होता है तथा उपरोक्त दोनों व्यवसायी के अतिरिक्त जिसका वार्षिक आवर्त्त 20 लाख रूपये से अधिक है, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है।

### 2-2-1-2 fooj.kh dk Hkj uk

एक पंजीकृत व्यवसायी धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए फार्म 17 में तिमाही ई-विवरणी (अप्रैल 2012 से अनिवार्य किया गया) के साथ भुगतान के समर्थन में चालान की सूची प्रदान करेगा यदि कर ई-भुगतान के अलावा भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यवसायी जिसका देय कर पचास हजार<sup>2</sup> प्रति तिमाही या प्रति वर्ष दो लाख<sup>3</sup> रूपये से कम है तो तिमाही समाप्ति के 30 दिन के भीतर कर का भुगतान करेगा। आगे, सभी पंजीकृत व्यवसायी जिसका देय कर पचास हजार प्रति तिमाही या प्रति वर्ष दो लाख रूपये के ऊपर है मासिक कर का भुगतान करेगा। एक पंजीकृत व्यवसायी संबंधित वृत्त में आनलाइन विवरणी प्रस्तुत करेगा।

## 2-2-2 NUkhI x<+eW; l df/kIr dj vf/kfu; e ds vUrxIr dj fu/kkj.k

वैट संग्रहण और नियंत्रण प्रक्रियाएं स्व-मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है। वैट मूल्यांकन प्रणाली का समग्र उद्देश्य अधिकतम स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को शामिल कर अधिकतम वैट राजस्व को बढ़ाना है तथा अपवंचन रोकना है। व्यापारी अपने

<sup>2</sup> पन्द्रह हजार रूपये 29.05.2012 तक

<sup>3</sup> साठ हजार रूपये 29.05.2012 तक

दायित्व की गणना स्वयं करता है और देय कर का भुगतान करता है जबकि वाणिज्यिक कर विभाग स्व—कर निर्धारण की समीक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्धारित देय कर कानूनी रूप से घोषित है और करदाता द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

वर्ष 2008–09 से विभाग द्वारा नियमित निर्धारण के स्थान पर कर धारा 21(2) के प्रावधान के अनुसार व्यवसायियों का स्व—कर निर्धारण किये जाते हैं। जहां एक पंजीकृत व्यवसायी ने वर्ष के सारे विवरणी भर दिये हो और/या उसी वर्ष के पुनरीक्षित विवरणी या किसी तिमाही के लिए और देय कर का भुगतान उस विवरणी के अनुसार या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार यदि कोई देय ब्याज सहित दिया गया हो और समय सीमा के भीतर धारा 41(2) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ प्रस्तुत कर दिया गया हो, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी और पुनरीक्षित विवरणी मान्य किया गया हो तब उसके कर निर्धारण को अधिनियम की धारा 21(2) के अन्तर्गत मान्य किया जावेगा।

इसके अलावा कर निर्धारण की कमियों को दुर करने के लिए और व्यापारियों द्वारा भुगतान की गयी देय कर को कर निर्धारण अधिकारी विवरणी में दी गई जानकारी की अंकगणितीय सटीकता की संमीक्षा करता है। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक व्यवसायी का विभाग<sup>4</sup> द्वारा कर निर्धारण प्रत्येक वर्ष धारा 21 के अन्तर्गत किया जाता है। एक व्यवसायी का कर निर्धारण धारा 21(2) (स्व—कर निर्धारण) धारा 21(3) (चयन द्वारा कर निर्धारण), धारा 21(4) (नोटिस द्वारा कर निर्धारण), धारा 21(5) (सर्वोत्तम निर्णय द्वारा कर निर्धारण) के अंतर्गत किया जा सकता है।

## 2-2-2-1 p; u ds }kj k dj fu/kkj . k

व्यवसायियों का चयन धारा 21(3) के अंतर्गत उद्देश्य मानदंडों या जोखिम विश्लेषण के आधार पर आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कम्प्यूटर प्रणाली से चुने जाते हैं तथा निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाता है। जहां पर माल का क्रय या विक्रय कर के दायरे में आता है उसका कम निर्धारण अथवा गलत निर्धारण या निर्धारण में छूट गया हो, धारा 22 के तहत मूल निर्धारण को खोला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया निर्धारण किया जाता है। एक व्यापारी को फिर से मूल्यांकन करते समय, कर निर्धारण अधिकारी न केवल छूट गए आवर्त्त का निर्धारण करता है बल्कि कुल अनुमानित आवर्त्त पर निर्धारण करता है, यदि आवश्यक हुआ, तो सबसे अच्छे निर्णय के आधार पर आकलन करने के लिए उपाय कर सकता है।

अधिनियम की धारा 54 और 57 के तहत कर अपवंचन का पता लगाने और रोकथाम पर पुनः कर निर्धारण हेतु विशेष प्रावधान है।

## 2-2-3 | xBukRed | jpuK

सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रमुख है। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त वाणिज्य कर के अधीन कार्य करते हैं और उनकी सहायता चार अतिरिक्त आयुक्त (अति.आ.), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए कार्य को करते हैं। वर्तमान में

<sup>4</sup> प्रकरणों का कर निर्धारण उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाता है।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध 8 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 36 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 71 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और 90 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत है। राज्य पांच वाणिज्य कर संभागों में विभक्त है जिसके प्रमुख उपायुक्त है। इन संभागों में 30 वृत्त है, जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी होते है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त में प्रकरणों के कर निर्धारण की शक्ति निहित होती है।

प्रत्येक अधिकारी प्रकरणों के निर्धारण/वापसी की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा के आधार पर उत्तरदायी है जो निम्न rkfydk 2-2 में दिए गए हैं—

### rkfydk&2-2

Lohdfr dūkkh vf/kdkjh	fu/kkfj r i jd .kk dh ekfnid l hek	oki l h dh Lohdfr dh ekfnid l hek
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	₹ एक करोड़ तक	निरंक
वाणिज्यिक कर अधिकारी	₹ एक करोड़ से ऊपर और ₹ पांच करोड़ तक	₹ पांच लाख तक
सहायक आयुक्त	₹ पांच करोड़ से ऊपर और ₹ 50 करोड़ तक	₹ पांच लाख से ऊपर और ₹ 10 लाख तक
उपायुक्त	₹ 50 करोड़ से ऊपर	₹ 10 लाख से ऊपर और ₹ 25 लाख तक
अतिरिक्त आयुक्त	प्रकरणों का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जाता।	₹ 25 लाख से ऊपर और ₹ एक करोड़ तक
आयुक्त		₹ एक करोड़ से ऊपर

उपरोक्त के अलावा, अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रवर्तन शाखा (मुख्यालय) है। इसमें औचक निरीक्षण और कर अपवंचन उजागर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों रायपुर एवं बिलासपुर में पदस्थ उपायुक्त सहायता करते हैं।

### 2-2-4 ys[kki j h{kk mís' ;

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने एवं मूल्यांकन करने हेतु किया गया कि:

- वैट के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली राजस्व का रीसन रोकने के लिए पर्याप्त है एवं उसका विधिवत् रूप से पालन किया जा रहा है।
- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए छूट/रियायतें वैद्य घोषणा पत्र द्वारा समर्थित थे।
- विभाग द्वारा कर विवरणी में दर्शीत जानकारी की वैद्यता और शुद्धता एवं कर की प्रभावी दर को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा आवश्यक होने पर उचित कार्यवाही की जा रही है।
- पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली विद्यमान है जिसका अनुपालन वैट के कर निर्धारण प्रणाली के तहत अधिकतम है।

### 2-2-5 ys[kki j h{kk eki n.M

नीचे दिये गए अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों/अधिसूचनाओं का उपयोग लेखापरीक्षा के मापदंड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम):
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.ग.मू.सं.क. नियम)
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम)
- केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957 (के.वि.क.नियम)

- विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियम, परिपत्र छूट संबंधी अधिसूचना और निर्देश।

## 2-2-6 ys[kki jh{k dk dk; kks= , oai fØ;k

यह निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2015 से जून 2015 के मध्य किया गया था और 57 कार्यालयों में से 14 कार्यालयों (तीन<sup>5</sup> उपायुक्त, छः<sup>6</sup> सहायक आयुक्त एवं पाँच<sup>7</sup> वाणिज्यिक कर अधिकारी) में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया कर निर्धारण की समीक्षा की गई। यह 14 कार्यालयों को 57 कार्यालयों में से सरल यादृच्छिक नमूना के आधार पर चयन किया गया था। वाणिज्यिक कर अधिकारी-2, बिलासपुर के लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपत्ति अद्यतन कर शामिल किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा 14 कार्यालयों में 28,645 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया था जिसमें से 1,905 कर निर्धारण प्रकरणों की परीक्षण की गई।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं पद्धति पर चर्चा के लिए कोई अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। आनलाइन डेटा का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा लेखापरीक्षा दल को सिस्टम पासर्वड और उपयोगकर्ता—आईडी भी प्रदाय नहीं किया गया। उपलब्ध भौतिक अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अपना कार्य किया गया। विभाग द्वारा निर्धारिति की संख्या, जमा विवरण की संख्या, देय विवरण की संख्या जो जमा नहीं की गई तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के विभिन्न धाराओं द्वारा कर निर्धारण की जानकारी भी प्रदाय नहीं की गई। (अगस्त 2015)।

बहिर्गमन सम्मेलन 11 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उपलब्धियां निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। शासन की ओर से सचिव वाणिज्यिक कर और विभाग की ओर से आयुक्त ने प्रतिनिधित्व किया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान और अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

## 2-2-7 vfhkLohdfr

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के बाह्य संरचना द्वारा आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने के सहयोग की अभिस्थीकृत करता है।

## 2-2-8 i@thd'r 0; ol kf; ; k dh I a[; k , oai vi@thd'r 0; ol kf; ; k ds I o[k. k fd; k tkuk

वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के दौरान पंजीकृत व्यवसायियों की वृद्धि का प्रतिशत निम्न rkydk 2-3 में दर्शाया गया है:

<sup>5</sup> संभाग—I बिलासपुर, दुर्ग एवं संभाग—II, रायपुर

<sup>6</sup> संभाग—I बिलासपुर, सहायक आयुक्त—3 दुर्ग, संभाग—I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी), संभाग—II, रायपुर (श्री दीपक गिरि), रायगढ़ एवं राजनन्दगाँव

<sup>7</sup> वाणिज्यिक कर अधिकारी—2 बिलासपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी—3 दुर्ग, वाणिज्यिक कर अधिकारी—3 रायपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी—6 रायपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी—9 रायपुर

## rkfydk 2-3

o"kl	i athdr 0; ol kf; ; k dh l a[; k	fi Nys o"kl dh ryuk e i athdr 0; ol kf; ; k ds of) ds i fr'kr
2010–11	50,446	—
2011–12	57,030	13.05
2012–13	65,719	15.24
2013–14	75,076	14.24
2014–15	86,966	15.84

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यवसायियों के वृद्धि का प्रतिशत 13.05 से 15.84 के मध्य थी।

सर्वेक्षण के संबंध में विभाग ने उत्तर दिया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि विभाग द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों को सर्वेक्षण (अधिनियम की धारा 57 ए के तहत) के माध्यम से कर के दायरे में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2015) भविष्य में सर्वेक्षण कराया जाएगा।

ge vu|k| k dj rs g§ fd foHkkx dj fu/kkj .k i kf/kdkfj ; k dks u; s  
0; ol kf; ; k dks dj ds nk; j s e ykus ds fy, NÜkh! x<+ oV dj vf/kfu; e  
/kkj k 57% d ds vr|x|r vi ath; d 0; ol kb; k dk l kof/kd l o;k. k dk  
vun's k tkjh dj us dk fopkj dj A

## 2-2-9 jktLo dh i oFuk

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न rkfydk 2-4 में दर्शाया गया हैं:

## rkfydk 2-4

o"kl	ctV vupku %C-V-%	okLrfod i kfI;r; k%ok-i k% eV; l oF/kJ- dj	vrij vkf/KD; %\$%@deh %&%@vrij dk i fr'kr	fi Nys o"kl ds ryuk e i okLrfod i kfI;r; k
2010–11	4524.13	4094.96	745.83	4840.79
2011–12	6000.00	4886.25	1120.00	6006.25
2012–13	7310.20	6072.77	855.88	6928.65
2013–14	8436.00	7001.34	928.17	7929.51
2014–15	9800.00	7495.75	932.36	8428.11

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त-लेख)

उपरोक्त तालिका 2.4 में देखा जा सकता कि जहां राजस्व का हर वर्ष निरंतर वृद्धि था परन्तु पंजीकृत व्यवसायियों के संख्या में वृद्धि तथा कर के दर में वृद्धि के बावजूद पिछले पाँच वर्षों में राजस्व वृद्धि के प्रतिशत में झुकाव की प्रवृत्ति थी तथा गिरावट 24 से 6 प्रतिशत की थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2015) कर की दर 1 जनवरी 2010 से वृद्धि की गई थी अतः 2011–12 में राजस्व की वृद्धि की दर 24.08 प्रतिशत थी जो की असंगत वृद्धि थी। पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि का राजस्व के

साथ कोई सीधा आनुपातिक संबंध नहीं है; यह विभिन्न वृद्धि आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि ही वास्तविक सूचक है। उक्त अवधि में औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत थी जबकि औसत राजस्व की वृद्धि 17.9 प्रतिशत थी जो की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में दो प्रतिशत अधिक थी।

## 2-2-10 jktLo cdk; k

31 मार्च 2015 में मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में बकाया राजस्व राशि ₹ 424.52 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 165.96 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थी जो की rkfydk 2-5 में दर्शाया गया है।

### rkfydk 2-5

₹ djkM+ek					
	jktLo ds 'kh'kz	31 ekpl 2015 eä dy cdk; k jkf'k	31 ekpl 2015 eä i kpo o"kkz l s vf/kd cdk; k jkf'k	i kpo o"kkz l s vf/kd cdk; k jkf'k dh fLFkfr vol iyuh; jkf'k	cdk; k jkf'k ftl eä ol iyh i xfr i j gs
1.	मूल्य संवर्धित कर	328.48	102.45	40.83	61.62
2.	केन्द्रीय विक्रय कर	96.04	63.51	37.81	25.70
	; kx	424.52	165.96	78.64	87.32

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

विभाग द्वारा बकाया प्रकरणों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में जैसे अदालती प्रकरणों, अपील प्रकरणों इत्यादि प्रदान नहीं किया गया। वर्गीकरण के बिना लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास का आकलन नहीं कर पाया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि पाँच वर्ष से अधिक बकाया राशि तुरंत वसूली योग्य नहीं है। विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि पिछले पाँच वर्षों से मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में बकाया राजस्व के वर्गीकरण के संग्रह के लिए क्षेत्रीय संरचना से प्रयास किए जा रहे हैं और उस की प्राप्ति के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

## 2-2-11 oki | h

अवधि 2010–11 से 2014–15 तक के लिए वापसी के प्रकरणों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किए जाने पर, विभाग द्वारा अवधि 2012–13 से 2014–15 से संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया गया जो की rkfydk 2-6 में वर्णित किया गया है।

### rkfydk 2-6

o"kl	fefyr i adj. kk dh   a[; k		Lohd'r oki   h dh jkf'k	
	eä;   pf/kh dj	dññh; foØ; dj	eä;   pf/kh dj	dññh; foØ; dj
2012–13	381	8	13,16,22,735	11,59,708
2013–14	2,520	74	74,08,94,028	87,09,668
2014–15	2,683	105	15,13,69,92,861	3,49,60,826

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में देखा गया कि व्यवसायियों द्वारा किया गया ज्यादातर वापसी का दावा आगे बढ़ाया गया आगत कर से संबंधित था न कि चालू वर्ष में अधिक कर के भुगतान की।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के वापसी प्रकरणों के संबंध में जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्ति के बाद प्रदान किया जाएगा।

## 2-2-12 vkluykbu i z kkyh dh vfo'ol uh; rk

विभागीय गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जून 2005 में सीजीकोमटेक्स सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। यह त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर पर आधारित है और शुरू में 11 मॉड्यूल था। आगे, पंजीकृत व्यवसायियों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की सुविधा के लिए ई–चालान, ई–पंजीकरण एवं ई–रिटर्न मॉड्यूल क्रमशः वर्ष 2006, 2011 एवं 2012 से शुरू किया गया था।

मॉड्यूल द्वारा उत्पन्न डेटा अवास्तविक और अविश्वसनीय है जैसे कि सीजीकोमटेक्स के मॉड्यूल के अंतर्गत धारा 21(2) के तहत राजस्व प्राप्ति, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2010–11 से 2012–13 में अधिक थे जो कि rkfydk 2-7 से स्पष्ट है।

### rkfydk 2-7

o"kl	/kkj k 21½ ds vrxt fu/kkj . k dh   ; k	NÜkh! x<+ 'kkl u ds foÜk ys[ ks ds vuñ kj jktLo i kfIr	I hthdkeVDI ekM; iy ds vuñ kj /kkj k 21½ ds vrxt jktLo i kfIr
2010–11	19,637	4,094.96	6,424.19
2011–12	42,157	4,886.25	6,655.05
2012–13	44,797	6,072.77	7,089.53
2013–14	15,380	7,001.34	3,894.32
2014–15	2,025	7,495.75	17.50

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि कोषालय निदेशालय के ई–चालन मॉड्यूल वाणिज्यिक कर विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ वास्तविक समय के आधार पर आपस में जुड़े नहीं हैं और केवल एक “दृश्य विकल्प” वर्तमान में विभाग के साथ मौजूद हैं एवं विभाग द्वारा दोनों विभागों के सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए कदम उठाएंगे।

## 2-2-13 N-x-eWl a dj vf/fu; e dh fofhkuu /kkj kvk ds rgr dj fu/kkj . k

विभाग ने अवधि 2010–11 से 2014–15 के मध्य कर निर्धारित होने वालों व्यवसायियों की संख्या की जानकारी प्रदान नहीं की गई। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 14 चयनित कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की। पूरे राज्य से संबंधित डेटा के अभाव में, हमने चयनित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया है।

14 चयनित कार्यालयों में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल 28,645 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया। जिनमें से 9,140 प्रकरणों का धारा 21(2), 434 प्रकरणों का धारा 21(3), 177 प्रकरणों का धारा 21(4) एवं 18,894 प्रकरणों का धारा 22(5) के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया। स्व–कर निर्धारण और नियमित कर निर्धारण (धारा 21(5)) के अंतर्गत प्रकरणों का कर निर्धारण प्रतिशत क्रमशः 32 एवं

66 था। यह एक संकेत है की स्व-कर निर्धारण जो प्रकरणों के कर निर्धारण का प्रमुख रीति है, बहुत प्रभावी नहीं है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2015) की व्यवसायियों को स्व-कर निर्धारण हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान चलाये गए एवं कर निर्धारण हेतु समय-सीमा में भी वृद्धि की गयी।

ys[kki jh{kk i {k. k

2-2-14 dj fu/kkj. k ds fy, l e; l hek dk vr; f/kd foLrkj

'kkl u us 2008&09 l s 2013&14 rd dh vof/k ds fy, Lo dj fu/kkj. k ds fy, l e; l hek l kr l s 48 ekg rd c<k nhA bl h rjg 2008&09 l s 2010&11 rd dh vof/k ds fy, vU; /kkj kvk ds rgr dj fu/kkj. k ds fy, l e; l hek 21 l s 31 ekg rd c<k nh x; hA

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी जिसने किसी वर्ष के लिए समस्त विवरणीयां या वर्ष के किसी अवधि के लिए पुनरीक्षित विवरणी संदर्भ कर चुका हो और विवरणीयों और वार्षिक पत्रक के अनुसार कर की सम्पूर्ण राशि और ब्याज यदि कोई हो, जमा कर दिया हो और संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष के समाप्ति के आठ महीने के भीतर जमा कर देता है तक उसका स्व-कर निर्धारण मान लिया जायेगा। पुनः धारा 21(7) (i) सह पठित धारा 21(4)(अ) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी का कर-निर्धारण (स्व-कर निर्धारण को छोड़कर) जिस वर्ष का प्रकरण है, उस वर्ष की समाप्ति के दो कलेण्डर वर्ष की अवधि के अंदर कर लिया जावेगा।

शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के परीक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14 के लिए अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कर निर्धारणों की अंतिम तारीख बहुत सारे अधिसूचनाओं के माध्यम से बढ़ाया गया। यद्यपि एक विशेष वर्ष के कर निर्धारण के लिए पर्याप्त समय (दो वर्ष) प्रदाय किया गया। आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि कर निर्धारण की तिथि चैम्बर ऑफ कामर्स के अनुरोध पर बढ़ाया गया। अंतिम तिथियों का वर्षवार विवरण rkfydk 2-8 में दर्शित है:

### rkfydk 2-8

foUkh; o"kl	/kkj k 21 1/2% ds rgr~fu/kkj. k			vU; /kkj kvk ds rgr~dj fu/kkj. k		
	dj fu/kkj. k dh okLrfod vfre frfFk	vf/kl puk ds }kj k c<kbl xbl frfFk	dj fu/kkj. k grq l e; foLrkj 1ekgqk	dj fu/kkj. k dh okLrfod vfre frfFk	vf/kl puk ds }kj k c<kbl xbl frfFk	dj fu/kkj. k grq l e; foLrkj 1ekgqk
2008–09	30.11.2009	15.12.2012	37 माह	31.12.2011	30.09.2013	21 माह
2009–10	30.11.2010	30.11.2014	48 माह	31.12.2012	31.07.2015	31 माह
2010–11	30.11.2011	30.11.2014	36 माह	31.12.2013	30.09.2015	21 माह
2011–12	30.11.2012	31.05.2015	30 माह	31.12.2014	30.03.2016	15 माह
2012–13	30.11.2013	30.06.2015	19 माह	31.12.2015	—	—
2013–14	30.11.2014	30.06.2015	7 माह	31.12.2016	—	—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक की प्रकरणों के धारा 21 (2) के अंतर्गत कर निर्धारण करने हेतु अवधि सात से 48 माह तक बढ़ाई गई।

इसी तरह, वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की अवधि के प्रकरणों का कर निर्धारण करने हेतु अवधि 21 से 31 माह तक बढ़ाई गई। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के कर निर्धारण की अंतिम तिथि जून 2015 तक भी समाप्त नहीं हुई थी। कर निर्धारण प्रकरणों का निराकरण में अत्याधिक वृद्धि के फलस्वरूप कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि अधिक व्यवसायियों को स्व कर निर्धारण चुनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कर निर्धारण समय में वृद्धि की गई। कर्मचारियों एवं कर सलाहकारों की कमी भी इसके लिए जिम्मेवार रही क्योंकि वे ऑनलाइन रिटर्न भरने में निपूण नहीं थे। आगे प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया कि प्रकरणों का कर निर्धारण का निपटान विर्निदिष्ट समय सीमा के अंदर करने एवं बकाया प्रकरणों का जमाव रोकने हेतु एक प्रणाली विकसित की जावेगी।

2-2-15 /kkj k 21½ ds vr xl dj fu/kkj .k gr q p; u

foHkkx us /kkj k 21½ ds vr xl 19]637 e; | s 2]275 0; ol kf; ; k 42]157  
e; | s 1]661 vkj 44]797 e; | s 273 0; ol kf; ; k dk p; u fd; k ftUgkus  
o"kl 2010&11] 2011&12 vkj 2012&13 ds nkj ku /kkj k 21½ ds rgr Lo  
dj fu/kkj .k vi uk; k FkkA bu o"kkj e; tkp ds fy, p; u dk i fr'kr 0-6  
| s 11-59 ds e/; j gkA

छ.ग.मू.सं. कर अधिनियम की धारा 21(3) उल्लेखित करता है कि आयुक्त उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का पुनः निर्धारण के लिए चयन करेगा जैसा कि वह उचित समझे जिनका स्व कर निर्धारण धारा 21(2) के तहत किया गया हो और ऐसे चयन वित्तीय वर्ष के समाप्ति के एक कलैण्डर वर्ष के भीतर किया जाएगा।

धारा 21(2) के तहत स्व कर निर्धारण अपनाने वाले व्यवसायियों की संख्या, चयन के लिए निर्धारित मापदंड (जैसा कि विभाग के वेबसाइट पर वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए उपलब्ध था और आयुक्त द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक चयन किये गये प्रकरणों की संख्या निम्न rkfydk 2-9 में वर्णित हैं:—

### rkfydk 2-9

foÜkh; o"kl	?kkj k 21½ ds vr xl Lo dj fu/kkj .k vi ukus okys 0; ol kf; ; k dk   a[; k	/kkj k 21½ ds vr xl p; u dk eki nM	/kkj k 21½ ds vr xl p; fur i dj .k dk dh   a[; k ½p; u dh frfFkkl
2008–09	3059	एक भी प्रकरण चयनित नहीं	चयन नहीं किया गया
2009–10	14923	एक भी प्रकरण चयनित नहीं	चयन नहीं किया गया
2010–11	19637	(i) सकल आवर्त्त ₹ 10 करोड़ से अधिक (ii) सकल आवर्त्त ₹ 60 लाख से 10 करोड़ (iii) आगत कर ₹ 5 लाख से अधिक (iv) अंतरराज्यीय विक्रय सकल आवर्त्त के 25 प्रतिशत से अधिक (v) प्रतिदाय ₹ 25 हजार से अधिक	2275 (21.12.2012)
2011–12	42157	उपलब्ध नहीं	1661 (15.10.2013)
2012–13	44797	(i) पिछले वर्ष की तुलना में कर योग्य आवर्त्त में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि (ii) कर मुक्त माल की बिक्री में पिछले वर्ष के सकल आवर्त्त की तुलना में वृद्धि (20 प्रतिशत से अधिक) (iii) सकल आवर्त्त कुल क्रय के 80 प्रतिशत से कम (iv) माल अंतरण आगत कर दावा अनुपात	273 (31.12.2014)

	(v) बिक्री के तहत कम दर (5 प्रतिशत) में पूर्व वर्ष की तुलना में कर योग्य आवर्त्त की वृद्धि 20 प्रतिशत से अधिक (vi) आगत कर का दावा में देय कर की तुलना में 20 प्रतिशत की अधिक की वृद्धि (vii) सकल आवर्त्त एवं जमा किए गए कर में 20 प्रतिशत से अधिक का अंतर	
--	---	--

उपरोक्त तालिका 2.9 से यह देखा जा सकता है कि आयुक्त ने वर्ष 2008–09 और 2009–10 में धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का भी चयन नहीं किया जो यह आश्वासन प्रदाय करता है कि व्यवसायियों से प्राप्त राजस्व ठीक स्तर तक है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए क्रमशः 2275, 1661 और 273 व्यवसायियों को निर्धारित मापदंड के तहत जांच हेतु चयन किया गया था जो कि स्व कर निर्धारण अपनाने वाले पंजीकृत व्यवसायियों का क्रमशः 11.59, 3.94 और 0.6 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के लिए व्यवसायियों का चयन कमतर था क्योंकि स्व कर निर्धारण प्रकरणों का केवल 0.6 प्रतिशत ही जांच के लिए चयनित किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रत्येक वर्ष धारा 21(3) के तहत प्रकरणों के चयन का जोखिम मापदंड में बदलाव किय जावेगा और धारा 21(3) के अंतर्गत अधिक प्रकरणों को चयनित करने के लिए आवश्यक प्रयास किये जायेगे।

ge vu{kk k dj rs g{ fd foHkkx jktLo ds fj l ko jk dus g{q dj l a j h{k k  
g{q i ; k{r l a; k e Lo dj fu/kkj.k i jdj .kks dk p; u i j fopkj dj s

2-2-16 ₹ , d yk[k l s de dh Ø; ds fy, vkxr dj l R; ki u r= dk  
vfLrRo e u gkuk

'kk l u us i z = 18 %okf"kd i z =% e s l a kks/ku fd; k vkJ fu/kkfj r fd; k  
fd ₹ , d yk[k l s vf/kd dk l Hkh Ø; @foØ; dh l iph dks i Lrqr fd; k  
tk, A bl ds vU; ckrks ds l kf&l kf 0; ol kf; ; ks dks ₹ , d yk[k rd ds  
Ø; @foØ; dh l iph i Lrqr dj us l s NIV fey x; hA ft l ds i fj .kkeLo: i  
₹ , d yk[k rd ds Ø; i j vkxr dj ds l R; ki u r= dk vHkkko QfyR  
gMKA

यद्यपि छत्तीसगढ़ में वैट की शुरूआत से एक व्यवसायी को वर्ष में अन्य व्यवसायी से सभी क्रयों/विक्रयों की सूची को संव्यवहार के मूल्य की परवाह किए बगैर प्रपत्र 18 के साथ जमा करना आवश्यक था। प्रपत्र 18 में संशोधन किया गया (मार्च 2008) और संव्यवहार की सीमा ₹ एक लाख को शामिल किया गया।

आगत कर सत्यापन तंत्र के बारे में एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि विभाग का आगत कर सत्यापन तंत्र कम्प्यूटरीकृत है। प्रपत्र 18 की आवश्यकता और विभाग के उत्तर के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विभाग सिर्फ उन्हीं आगत कर का सत्यापन कर रहा था जिसमें एक व्यवसायी से एक वर्ष में ₹ एक लाख से अधिक क्रय हुआ हो लेकिन ₹ एक लाख से कम क्रय का नहीं।

विभाग द्वारा ₹ एक लाख का कम क्रय का सत्यापन नहीं होना, व्यवसायियों को आगत कर में कपटपूर्ण दावा करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार, विभाग में प्रचलित प्रणाली आगत कर के सभी प्रकरणों के सत्यापन के लिए सक्षम नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि वैसे व्यवसायी जो राज्य के अंदर ₹ एक लाख से कम का क्रय करते हैं कि सूची जमा करने के संबंध में उपयुक्त संशोधन छ.ग.मू.सं.क. नियम में किए जाएंगे।

2-2-17 fujLr i sth; u ds l ki \$k e vfre Ld/k ds mij vkxr dj dh  
oki l h

i kp okf, kfT; d dj vf/kdkfj; k u\$ fujLrhdr 0; ol kf; ; k ds vfre  
Ld/k vkg ml i j vkxr dj oki l h ; fn dkbl gkj ds l c/k e tkudkj h  
i Lr ugh fd; k tks vkxr dj ds oki l h dh fuxjkuh e deh dks  
n' kkirk gA

छ.ग.मू.सं. कर अधिनियम 2005 की धारा 13(5) (अ) (iii) के अनुसार, जहां किसी पंजीकृत व्यवसायी जिसने उपधारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई माल क्रय किया है और उक्त खण्डों के अधीन उक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है, का पंजीयन प्रमाण—पत्र धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यवसायी उस तारीख को जब पंजीयन प्रमाण—पत्र का निरस्तीकरण प्रभावशील होता है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन आगत कर के रिबेट के रूप में दावा की गई रकम चुकायेगा।

पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारियों<sup>8</sup> के कार्यालयों की मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के बीच वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कुल 5600 पंजीयन निरस्त किये गये थे। वाणिज्यिक कर अधिकारीयों ने वैसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के उपर आगत कर की वापसी का निगरानी तंत्र विभाग में कमजोर है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि मामले की पुनः जांच की जावेगी।

ge vuq k djs g\$ fd foHkkx fujLr i sth; uk ds l c/k e vfre Ld/k ds  
mij vkxr dj dh oki l h dks l fuf' pr dj us ds fy, vkxr dj fuxjkuh  
r= fodfl r dj A

2-2-18 dj ds i l keu e l fonk ds xyr oxhdj.k l s jktLo dh de  
i kf l r

₹ 22-67 dj kM+ ds l fonk ds xyr oxhdj.k ds dkj.k dj dk i l keu  
de nj vuq l kx l s gvkA i fj.kkeLo: i ₹ 21-82 yk[k ds dj dk de  
dkjk k. k gvkA

<sup>8</sup> वा.क.अ.—2 बिलासपुर, वा.क.अ.—3 दुर्ग, वा.क.अ.—3 रायपुर, वा.क.अ.—6 रायपुर एवं वा.क.अ.—9 रायपुर

तीन कर निर्धारण अधिकारियों<sup>9</sup> के नमूना जांच (मई 2015 से जून 2015 तक) में हमने पाया कि संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों ने चार व्यवसायियों के छः प्रकरणों में गलत वर्गीकरण के कारण कम दर से कर का करारोपण किया जो कि छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2005 के नियम आठ का उल्लंघन है जैसा कि नीचे rkfydk 2-10 में दर्शाया गया है:

### rkfydk 2-10

bdkbz dk uke	dj fu/kkj .k o"kl yfu/kkj .k dk ekg , o\ o"kl	ys[kkj j h{kk i gk.k
वा. कर अधिकारी, वृत्त-3, दुर्ग	2012-13 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यवसायी द्वारा फिलंकराईजेशन/ पिशाई प्लांट में क्रशर एवं लाईमस्टोन कन्वेयर बेल्ट एवं क्रशर के निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹ 18.40 करोड़ है हेतु प्रशमन का चयन किया गया है। व्यवसायी द्वारा दो प्रतिशत की दर से कर जमा करवाया गया जिसे कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा सिविल निर्माण मानते हुए स्वीकार किया गया। जबकि संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन के लिए कर की वास्तविक दर तीन/चार प्रतिशत थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.94 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।
संभागीय उपायुक्त संभाग 1 बिलासपुर	2009-10 (मार्च 2014)	एक व्यवसायी द्वारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, सिपत (चरण-2) जिसका संविदा मूल्य ₹ 4.06 करोड़ था, में राख जल पुनर्परिसंचरना तंत्र के स्थापना, परीक्षण और निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, के लिए प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी ने इसे सिविल संविदा निर्माण मानते हुए दो प्रतिशत की दर से करारोपण किया। जबकि इसे संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन के तहत 3 प्रतिशत की दर से करारोपण करना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.06 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।
वा. कर अधिकारी, वृत्त 3, रायपुर	2014-15 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यापारी ने वीट्रीफाइड टाइल्स उपलब्ध कराने और लगाने हेतु ₹ 18.14 लाख मूल्य का अनुबंध किया था जिसके लिए तीन प्रकरणों के प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिविल निर्माण मानते हुए एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि इसे “अन्य सभी संविदाएं जो क्रमांक 1 से तीन में विनिर्दिष्ट न हो”, के अंतर्गत पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72,523 का कम करारोपण हुआ है।
	2014-15 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यवसायी द्वारा भागीरथी योजना के तहत पाइप की फिटिंग हेतु ₹ 2.19 लाख का अनुबंध किया गया जिसके लिए प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिविल निर्माण मानते हुए एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि इसे “अन्य सभी संविदाएं, जो क्रमांक 1 से तीन में विनिर्दिष्ट न हों”, के अंतर्गत पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,752 का कम करारोपण हुआ है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि अभिलेख सत्यापन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

9

उ.अ., संभाग-I, बिलासपुर, वा.क.आ.-3 दुर्ग एवं वा.क.आ.-3 रायपुर

2-2-19 xyr nj vu@; kx ds dkj.k eM; | df/kjr dj dk  
vo@vukjksi.k

dj fu/kkj.k vf/kdkjh }kj k ₹ 136-05 dj kM+ ds vkoUkl ij xyr nj | s  
djkjksi.k fd, tkus ds i fj.kkeLo: i ₹ 9-16 dj kM+ dk vu@vojksi.k  
gMKA

छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम कि धारा 8 वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का आरोपण को प्रावधानित करता है। आगे, अनुसूची II भाग IV प्रविष्टि क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I (1 प्रतिशत) भाग II (4 प्रतिशत जनवरी 2010 तक एवं 5 प्रतिशत तत्पश्चात्) और भाग III (25 प्रतिशत) में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत जनवरी 2010 तक एवं 14 प्रतिशत तत्पश्चात् है।

ग्यारह<sup>10</sup> कर निर्धारण अधिकारियों के कुल 5951 व्यवसायियों में से 1430 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य) कि अगस्त 2011 और दिसंबर 2014 के मध्य कर निर्धारण के निराकरण के दौरान, कर निर्धारण अधिकारियों ने माल के गलत वर्गीकरण के कारण 26 प्रकरणों में कर के न्यून दर प्रयोग करने से ₹ 9.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ, जो /ff'K"V 2-1 में वर्णित है। आरोपणीय दर एवं आरोपित दर का अंतर चार से 14 प्रतिशत के बीच था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि एक प्रकरण में ₹ 2.67 लाख का मांग पत्र जारी किया जा चुका है, जिसमें से ₹ 1.40 लाख वसूली हो चुका है। आगे एक प्रकरण में शासन ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयुक्त वाणिज्यिक कर तमिलनाडु एवं अन्य तथा मेसर्स चित्रहार ट्रेडर्स के प्रकरण में (मार्च 2011) यह निर्णित किया कि संयंत्र और मशीनरी के स्क्रैप पर कर कि दर चार प्रतिशत होगी। हम उत्तर से सहमत नहीं है, मेसर्स चित्रहार ट्रेडर्स में दिया गया न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में उपयुक्त नहीं है क्योंकि तमिलनाडु बिक्री कर अधिनियम में स्क्रैप की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रविष्टियां हैं। परन्तु, छ.ग. वा. कर अधिनियम की अनुसूची में केवल लोहा एवं स्टील के स्क्रैप के लिए ही प्रविष्टिया है। चूंकि संयंत्र और मशीनरी, धातु और मिश्र धातु के विभिन्न प्रकार के होते हैं, यह लोहे के स्क्रैप के तहत आवृत्त नहीं होता जैसा कि आयुक्त वाणिज्यिक कर ने मेसर्स बीरगांव स्टील एवं मिनरल्स कंपनी रायपुर के प्रकरण (2005) में स्पष्ट किया है, अतः इसे अवशिष्ट माल मानते हुए 12.5 प्रतिशत के दर से करारोपित किया जाना था। शेष प्रकरणों के बारे में शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरणों की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2-2-20 vkxr dj dk xyr@vf/kd NIV i nk; djuk

N% 0; ol kf; ; kx dks xyr x.kuk] vxkg; eky ij xyr NIV ds dkj.k ₹ 1-37 dj kM+ ds cnys ₹ 1-82 dj kM+ dk vkxr dj i nku fd; k x; k ft| ds i fj.kkeLo: i ₹ 44-89 yk[k dk xyr@vf/kd vkxr dj fu/kkj.k vf/kdkjh us i nku fd; kA

<sup>10</sup> स.आ-2, संभाग-I, बिलासपुर, वा.क.अ.-2, बिलासपुर, स.आ.-3, दुर्ग, स.आ.-I, संभाग-II, रायपुर, स.आ., रायगढ़, स.आ., राजनांदगांव, वा.क.अ.-3, रायपुर, वा.क.अ.-9, रायपुर, स.आ., दुर्ग, स.आ., संभाग-II, रायपुर और वा.क.अ.-3, दुर्ग।

छ: कर निर्धारण अधिकारियों के 2766 प्रकरणों में लेखा परीक्षा के दौरान मई 2015 से जून 2015 के मध्य 874 प्रकरणों की जांच की गयी जिसमें हमने पाया कि छ: प्रकरणों में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी ने गलत गणना एवं अग्राहय माल पर छूट के कारण अधिक / गलत आगत कर स्वीकार किया, जैसा कि नीचे rkfydk 2-11 में दर्शाया गया है:

### rkfydk 2-11

I - Ø-	bdkbl dk uke	dj fu/kkj . k o"kl /fu/kkj . k dk ekg , o/ o"kl	ys[kki jh{k k i {k. k
1	सहा. रायगढ़	आयुक्त 2007–08 (दिसम्बर 2014)	कर निर्धारण अधिकारी ने गलत गणना कर ₹ 12.35 लाख के राज्य के भीतर क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 4.75 लाख का आगत कर प्रदान किया जबकि वास्तविक आगत कर ₹ 47,482 होता है। इस प्रकार से गलत गणना के कारण ₹ 4.27 लाख का अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
2	सहा. रायपुर	आयुक्त-1 संभाग— II 2009–10 (दिसम्बर 2012)	ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायी ने वर्ष में ₹ 53.00 लाख का संयंत्र और मशीनरी क्रय किया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 2.12 लाख का आगत कर स्वीकार्य था जबकि व्यवसायी द्वारा ₹ 11.49 लाख का आगत कर का दावा किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार्य किय गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.37 लाख का अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
3	वा. कर अधिकारी वृत्त-09 रायपुर	वृत्त-09 2009–10 (मई 2013)	व्यवसायी लोहे एवं स्टील का क्रय-विक्रय करता है। कर निर्धारण वर्ष 2008–09 में ₹ 1.69 लाख का अधिक आगत कर अगले वर्ष के लिए फॉरवर्ड किया गया था परन्तु व्यवसायी ने ₹ 3.93 लाख के पिछले वर्ष के आगत कर का दावा किया इस प्रकार ₹ 2.23 लाख का अधिक आगत कर अस्वीकार किया जाना चाहिए था।
4	सहायक आयुक्त-1 संभाग—I, रायपुर	2009–10 (अगस्त 2012)	व्यवसायी ने गलत गणना की और ₹ 9.02 करोड़ के क्रय पर ₹ 1.23 करोड़ के आगत कर का दावा किया जबकि ₹ 1.15 करोड़ का आगत कर ही स्वीकार्य था। कर निर्धारण अधिकारी ने गणना में त्रुटि को पकड़ नहीं सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.90 लाख के अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
5	वा. कर अधिकारी वृत्त-6 रायपुर	वृत्त-6 2008–09 (जून 2013)	कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 4.58 लाख के क्रय पर ₹ 57,275 का आगत कर स्वीकार किया जबकि बीजक पत्रों में वैट की राशि अलग से नहीं दर्शाई गयी थी जो कि छ.ग. वा. कर नियम, 2006 के नियम 9 का उल्लंघन है जिसमें वर्णित है कि आगत कर प्रदान/स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि बीजक पत्रों या क्रय बीजकों में संग्रहित कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गयी हो।
6	संभागीय उपायुक्त, दुर्ग	2008–09 (अगस्त 2012 एवं दिसम्बर 2013)	विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2012 के अनुसार माल में संपत्ति के अंतरर चाहे वो उसी रूप में हो या किसी अन्य रूप में, कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल बिक्री के तहत सम्मिलित किया जाता है और आगत कर के लिए पात्र है जबकि अन्य माल जैसे मशीनरी/उपकरण, डीजल, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि जो कार्य अनुबंध में प्रयुक्त होते हैं आगत कर के पात्र नहीं हैं। व्यवसायी ने ₹ 2.63 करोड़ का टिप्पर राज्य के भीतर क्रय किया एवं ₹ 20.54 लाख के आगत कर का दावा किया जिसे सहायक आयुक्त द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकरण ने इसे पूंजीगत माल मानते हुए आगत कर मंजूर किया परिणामस्वरूप ₹ 20.54 लाख के आगत कर का गलत छूट प्रदान किया गया।

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि संबंधित कर निर्धारण ने ₹ 44.89 का गलत / अधिक आगत कर प्रदाय किया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015 से जून 2015), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि एक प्रकरण में ₹ 20.54 का मांग पत्र जारी किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरणों को धारा 22(1) में पुनः खोला जाएगा।

## 2-2-21 ØfMV ukV ij i klr NW ij dj dk vukjks . k

0; ol k; h }kj k ØfMV ukV ij i klr NW ₹ 25-19 yk[k dks dj fu/kkj . k vf/kdkj h }kj k I dy foØ; eW; eW 'kkfey ugha djus I s ₹ 3-53 yk[k ds dj dk vukjks . k gWKA

छ.ग.मू.स.क. अधिनियम की धारा 2 (न) के अनुसार विक्रय मूल्य से अभिप्रेत है कि किसी माल के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को देय ऐसी रकम। आगे आयुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर के परिपत्र क्रमांक/वाणिज्यिक कर अधिकारी/टेक./2013/19/2043 दिनांक 07.09.2013 के अनुसार व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी यदि व्यवसायी विभाग द्वारा वांछित घोषणापत्र जमा कर देता है। वांछित घोषणापत्र जमा नहीं करने कि स्थिति में प्राप्त छूट को विक्रय मूल्य में शामिल किया जाएगा। आगे, अनुसूची II, भाग IV के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं हैं, पर 2011–12 में कर की दर 14 प्रतिशत है। अतः टायर एवं पेंट्स 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3 रायपुर के 532 कर निर्धारण प्रकरणों में लेखा परीक्षा के दौरान 234 प्रकरणों की जांच की गयी (मई 2015) जिसमें टायर एवं पेंट्स से संबंधित दो प्रकरणों में व्यापारी ने ₹ 25.91 लाख की छूट क्रेडिट नोट के माध्यम से 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त की। पुनः ट्रैडिंग एवं प्रॉफिट एण्ड लॉस लेखे से प्रतीत होता है की वर्ष के दौरान क्रय के ऊपर प्राप्त छूट को विक्रय मूल्य में नहीं जोड़ा गया परन्तु राज्य के भीतर कुल क्रय के ऊपर आगत कर की छूट प्राप्त कर ली गयी।

चुकी व्यवसायी ने सितम्बर 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार अपेक्षित घोषणापत्र पेश नहीं किया, बिक्री मूल्य के ऊपर प्राप्त छूट को सकल विक्रय में शामिल किया जाना था। धारा 2(न) के प्रावधानों का परिपालन नहीं किए जाने से छूट में प्राप्त राशि ₹ 25.19 लाख को विक्रय राशि में शामिल नहीं करने के फलस्वरूप कर ₹ 3.53 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015), शासन ने बताया की (अगस्त 2015) व्यवसायी प्राप्त क्रेडिट नोट एक प्रकार का छूट है जो विक्रय का भाग नहीं है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त प्रकरणों में व्यवसायियों ने विर्तिदिष्ट घोषणापत्र जमा नहीं किया फलस्वरूप प्राप्त छूट विक्रय राशि का भाग होना चाहिए।

## 2-2-22 vkoÙkZ eW; I s xyr deh

0; ol k; h us Qfcds'ku dk; l eW Jfed 0; ; ds fy, ₹ 56-33 yk[k ds NW dk nkok fd; k ft I s dj fu/kkj . k vf/kdkj h }kj k ekU; fd, tkus I s ₹ 7-04 yk[k ds oW dk de vkjks . k gWKA

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-3, रायपुर के 532 कर निर्धारण प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान 234 प्रकरणों की जांच की गयी (मई एवं जून 2015 के मध्य) जिसमें पाया गया कि फब्रिकेशन कार्य से संबंधित एक व्यापारी ने सकल विक्रय ₹ 65.57 लाख दर्शाया है जिसमें से ₹ 56.33 लाख श्रम व्यय के लिए घटाकर शेष ₹ 6.93 लाख के ऊपर 12.5 प्रतिशत कि दर से ₹ 86,634 कर चुकाया गया। आगे, प्रवेश कर के लिए प्रेषित प्रारूप 8 कि जांच से ज्ञात हुआ कि व्यवसायी ने ₹ 21.18 लाख के कच्चे माल

के उपर एक प्रतिशत कि दर से प्रवेश कर चुकाया है जो दर्शाता है कि व्यवसायी ने वर्ष के दौरान कच्चे माल का क्रय एवं उपयोग, फेब्रिकेशन माल के निर्माण पर किया एवं व्यापार के दौरान उसे बेचा।

चूंकि व्यवसायी ने न तो संकर्म संविदा न ही जॉब कार्य किया है अतः सकल विक्रय मूल्य में ₹ 56.33 लाख के श्रम व्यय कि कमी गलत है जिसे सकल विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए करारोपण किया जाना चाहिए था। उपरोक्त माल अनुसूची I एवं अनुसूची II के भाग 1, 2 एवं 3 में शामिल नहीं हैं अतः वर्ष 2008–09 के लिए 12.5 प्रतिशत कि दर से करारोपणीय था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.04 लाख के कर का अवरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015 से जून 2015 के मध्य), शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि जाँच के उपरान्त कार्यवाही कि जावेगी।

## 2-2-23 vkoÙkZ dk fNi ko

dj fu/kkj .k vf/kdkjh us ₹ 21-47 yk[k fNi k, x;s foØ; ij dj ,oi 'kkfLr vkj kfif r ugha fd ftI ds i fj .kkeLo: i ₹ 5-67 yk[k dk dj ,oi 'kkfLr dk vukj ksj .k gMKA
--

कार्यालय स.आ., वाणिज्यिक कर–3, दुर्ग के 74 में से 74 व्यवसायियों के कर–निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच (मई 2015) के दौरान हमने पाया कि, दो व्यवसायी जो “थोक माल की क्रय–विक्रय” एवं “फेरो एलायज की विनिर्माण एवं विक्रय” करते हैं का माह जून 2013 में अवधि 2009–10 एवं 2010–11 के लिए कर निर्धारण धारा 21(2) के अंतर्गत किया गया। अभिलेखों जैसे फार्म–18 (वार्षिक प्रपत्र) और संपरीक्षा प्रतिवेदन के परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि व्यवसायी ने क्रमशः ₹ 5.03 करोड़ एवं ₹ 7.25 करोड़ का सकल विक्रय दिखाते हुए स्वीकृत छूटों के पश्चात् उपरोक्त पर कर दायित्व का प्रेषण किया।

आगे, क्रय एवं विक्रय की एस.ए.एस.<sup>11</sup> प्रतिवेदन के परीक्षण किया गया दोनों व्यवसायियों की क्रय की तुलना उस व्यवसायी के क्रय से की गयी जिसने दोनों व्यवसायियों से खरीद की थी इसमें यह उजागर हुआ कि दोनों ने ही विक्रय क्रमशः ₹ 5.58 लाख एवं ₹ 15.89 लाख का विक्रय कम दिखाया था। इस प्रकार /f/f/k"V 2-2 में दिखाये गये विवरण अनुसार ₹ 1.42 लाख कर का अपवंचन हुआ तथा छ.ग. वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 54 के तहत शास्ती ₹ 4.25 लाख आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि, पुनः कर–निर्धारण हेतु प्रकरण धारा 22(1) के तहत खोला जायेगा।

## 2-2-24 dj ; kx; vkoÙkZ dk xyr fu/kkj .k

---

<sup>11</sup> सिस्टम एनालिस्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली से व्यवसायियों के आपसी क्रय–विक्रय को जाँचा जा सकता है।

I del I fonk I s I kf/kf dj ; kx; vkoÙk dh x.kuk grq I j dkj }kj k  
tkjh i fj i = dk i fj i kyu u fd; s tkus ds i fj .kkeLo: i oV dj dk de  
vkj k. k ₹ 46.55 yk[KA

मेसर्सर्स गेनन एवं डंकरली एण्ड कंपनी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान (1993) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एस.सी) द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार संकर्म संविदा संबंधि कर योग्य वार्षिक आय का निर्धारण श्रम यथा संकर्म—संविदा के संपादन के लिए श्रम पर व्यय, उप-ठेकेदार को श्रमिकों एवं सेवा के लिए दी गयी राशि, योजना एवं रूपरेखा पर व्यय तथा आर्किटेक्ट शुल्क, स्थापना व्यय आदि घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए। आगे, शासन ने निर्देशित किया (सितम्बर 2012) कि संकर्म संविदा हेतु करयोग्य आवर्त्त की गणना उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जानी है।

तीन इकाईयों<sup>12</sup> के माह 2015 एवं जून 2015 के मध्य 345 में से 300 व्यवसाईयों के कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने पाया कि पाँच व्यवसायी जो संकर्म संविदा में कार्य करते हैं (अगस्त 2012 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निर्धारित) ने अवधि 2007–08 एवं 2011–12 के दौरान कुल ₹ 142.75 करोड़ की प्राप्तीयाँ दर्शाया है। आगे, अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि कर-निर्धारण अधिकारीयों ने संकर्म संविदा में इस्तेमाल सामग्री, मालभाड़ा, लाभ एवं कर को शामिल करते हुए ₹ 33.63 करोड़ का करयोग्य वार्षिक विक्रय निर्धारित किया एवं इसी आधार पर ₹ 1.78 करोड़ का कर आरोपित किया।

यह उपरोक्तनुसार निर्णय एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन था। उपरोक्त निर्णय एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों में दी गयी कार्य करने की रीति को अपनाने के पश्चात् करयोग्य वार्षिक आवर्त्त ₹ 43.30 करोड़ निर्धारित होता है एवं इसी अनुसार ₹ 2.24 करोड़ का कर आरोपणीय है। इस प्रकार निर्णय एवं शासन के निर्देशों की कर-निर्धारण अधिकारीयों द्वारा अनदेखी किये जाने के कारण /f/f'k"V 2-3 में दिये गये विवरण अनुसार ₹ 46.55 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि, दो प्रकरणों में ₹ 19.60 लाख की मांग सूचना जारी की जा चुकी है। शेष प्रकरणों को धारा 22(1) के तहत पुर्ण करनिर्धारण के लिए पुनः खोला गया है।

2-2-25 dJnh; foØ; dj vf/kfu; e ds vr xl vr jj kT; h; | Ø; ogkj ks  
ds | kf k ofykkfud Qkel , oal gk; d | k{; dks tek fd; s tkus es  
vfu; ferrkA

vrj i krh; foØ; ] eky vrj. k] i kj xeu foØ; vkj nks ki kl Qkek ds  
fo: ) NIV@fj; k; rh dj dh nj xyr Lohdkj fd; k x; k QyLo: i dj  
₹ 1-68 dj kM dk vu@vojk. k givka

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8 प्रावधानित करता है कि अप्रैल से मई 2008 के मध्य तीन प्रतिशत की दर से और जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से माल का 'सी' फार्म समर्थित अंतरराज्यीय विक्रय पर करारोपणीय है। इसी तरह पारगमन बिक्री जिसका मतलब माल को यात्रा के दौरान बिक्री पर विक्रेता व्यवसायी को कर के भुगतान से छूट के दावा के लिए फार्म ई-I/ II और सी को प्रस्तुत करना है।

<sup>12</sup>

स.आ., राजनांदगांव, स.आ. रायगढ़ एवं उ.आ., दुर्ग

आगे, के.वि.क. अधिनियम के धारा 6(अ) के अंतर्गत, माल बिक्री (शाखा अंतरण) वैद्यानिक 'एफ' फार्म के प्रस्तुति पर कर के भुगतान से छूट है। समर्थित साक्ष्य और वैद्यानिक फार्मों के अभाव में, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

**2-2-25-1** हमने मई 2015 से जून 2015 के मध्य पाँच<sup>13</sup> इकाईयों के 790 व्यवसायियों में से 558 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच में पाया कि 11 प्रकरणों में से, नौ व्यवसायी जिनका अंतरराज्यीय संव्यवहार ₹ 113.27 करोड़ था, ने अंतरराज्यीय विक्रय के समर्थन में ₹ 8.82 करोड़ के 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये थे और दो व्यवसायी जिनका अंतरराज्यीय संव्यवहार ₹ 271.43 लाख था ने ₹ 24 लाख का दोषपूर्ण 'सी' फार्म प्रस्तुत किया था। फार्मों का अप्रस्तुतीकरण या दोषपूर्ण 'सी' फार्मों को प्रस्तुति के कारण, व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट स्थानीय दरों पर कर भुगतान के दायी थे। यद्यपि सभी व्यवसायियों ने के.वि.क. के अन्तर्गत रियायती कर का दर उपयोग किया जिससे ₹ 23 लाख कर राशि का कम वसूली फलित हुआ जो /ff'k"V 2-4 में वर्णित है।

**2-2-25-2** हमने संभागीय उपायुक्त, संभाग-II, रायपुर के 41 में से 41 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान पाया (जून 2015) कि एक व्यवसायी जो जूट बैग्स का क्रय-विक्रय करता था, वर्ष 2009–10 के लिए अप्रैल 2014 में कर निर्धारण किया गया, अंतरराज्यीय बिक्री ₹ 74.31 करोड़ के समर्थन में 'सी' फार्म जमा किया, जबकि वास्तविक में ₹ 35.17 करोड़ के 'सी' फार्म उसके अन्य शाखा, कोलकता के पक्ष में जारी किया गया था। अतः उक्त विक्रय को बिना 'सी' फार्म अंतरराज्यीय बिक्री माना जाना चाहिए था। यद्यपि रियायती कर का दर प्रदाय करने से ₹ 1.06 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

**2-2-25-3** हमने तीन<sup>14</sup> इकाईयों के 496 व्यवसायियों में से 297 के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच में पाया (जून 2015) कि तीन व्यवसायियों जो स्पंज आयरन के निर्माण/क्रय और जूट यार्न के विक्रय का व्यवसाय करते थे के अवधि 2007–08, 2009–10 एवं 2011–12 के कर निर्धारण अप्रैल 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य किया गया था। एक प्रकरण में व्यवसायी ने अंतरराज्यीय विक्रय ₹ 4.60 करोड़ के समर्थन में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया। फार्म के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर करारोपण से ₹ 10.40 लाख का कम आरोपण हुआ जो rkfydk 2-12 में वर्णित है:-

### Rkkfydk 2-12

॥ yk[k e॥

०-	bdkb[ dk uke	dj fu/kkj .k o"kl yekg o dj fu/kkj .k dk o"kl	vrijjkt; h; foØ; dh j kf' k	j kf' k tks 'i h Qkel l effklr@ vI effFk Fkh	vkjk[ .kh; @vkjkf i r dj dh nj	de vkjk[ .k	i [k. k dh i dflk
1	संभागीय उपायुक्त, दुर्ग	2011–12 (मार्च 2015)	6840.55	460.22	5 / 4	4.51	शासन ने अप्रैल 2011 से स्पंज आयरन पर कर की दर चार से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पांच प्रतिशत की जगह

<sup>13</sup> स.आ.–III, दुर्ग, स.आ., राजनन्दगांव, स.आ. संभाग II, रायपुर, वा.क.अ.–9, रायपुर और उ.आ. संभाग II, रायपुर

<sup>14</sup> उ.आ., दुर्ग, वा.क.अ.–9, रायपुर एवं उ.आ., संभाग-II, रायपुर

							चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
2	वा.क.अ.—9, रायपुर	2007–08 (दिसम्बर 2014)	258.37	152.71	3 / 2	1.53	ई-रोल्ड माल पर अवधि 2007–08 में कर की दर तीन प्रतिशत था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
3	संभागीय उपायुक्त-II, रायपुर	2009–10 (अप्रैल 2014)	7431.18	436.00	2 / 1	4.36	कर निर्धारण अधिकारी ने जूट यान पर 2 प्रतिशत की दर की जगह 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
	ksx		14530-1	1048-93		10-40	

2-2-25-4 हमने मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य दो<sup>15</sup> इकाईयों के 616 व्यवसायियों में से 302 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच के पाया कि तीन व्यवसायियों जिनका आवर्त ₹ 6.06 करोड़ था ने ₹ 2.56 करोड़ के ई I-'सी' फार्म, ₹ 2.68 करोड़ के ई I फार्म और ₹ 17.28 लाख का 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया था। व्यवसायी ₹ 16.30 लाख के कर छूट के लिए भागी नहीं थे जो उन्होंने प्राप्त किया था जैसा कि *ifjf'k"V 2-5* में वर्णित है।

2-2-25-5 हमने मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य स.आ., संभाग—I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी) के 204 व्यवसायियों में से 83 व्यवसायियों के नमूना जांच में पाया कि दो प्रकरणों में व्यवसायियों ने ₹ 3.61 करोड़ का शाखा अंतरण किया था जिसमें ऐसे शाखा अंतरण में ₹ 87.05 लाख के फार्म 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये थे। फलस्वरूप ₹ 12.19 लाख का कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरणों को पुर्न कर निर्धारण हेतु धारा 22(1) में खोला जा रहा है।

ge vudkl k djrs g\$ fd foHkkx dj fu/kkj .k i kf/kdkfj ; k\$ dks vrjj kT; h;  
I \$; ogkj k\$ e\$ dj N@fj ; k; rh nj I s djkj k\$ .k i nk; djus I s i gys  
fofufn"V i \$ =k\$ ds i Lrfr dks I fuf' pr djus dk vunsk tkjh djA

## 2-2-26 vkrfj d fu; \$ .k i z kkyh 1/vkfU- i t%

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.) किसी विभाग के आंतरिक नियंत्रक तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रण के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

जब हमने विभाग से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अस्तित्व जो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.), आगत कर सत्यापन प्रणाली और वित्त विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के लेखापरीक्षा के प्रावधानों के संबंध में पूछा तो विभाग ने बताया कि शाखा में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए केवल चार चार्टर्ड एकाउन्टेंट पदस्थापित (जनवरी 2015 से) हैं। विभाग ने न तो पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या और न ही लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन आगत कर सत्यापन हेतु अपनाई गई प्रणाली (हस्त संबंधी या कम्प्यूटरीकृत) से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर सका।

<sup>15</sup>

वा.क.अ.—9, रायपुर एवं स.आ., संभाग—I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी)

इसलिए प्रतिवेदन में इंगित की गई आंतरिक लेखा परीक्षा के क्रिया-कलापों का अभाव के साथ व्यापक प्रणाली की कमियों से स्पष्ट पता चलता है कि आंतरिक नियंत्रण माहौल कमजोर है।

वाणिज्यिक कर अधिकारियों को प्रकरणों का निरीक्षण के संबंध में टेबल डायरी और बकाया और संग्रहीत कर के निगरानी के लिए मांग और संग्रह पंजी का संधारण करना होता है। नमूना जांच इकाईयों में उपरोक्त पंजी विधिवत संधारित थे और उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित की गई थी।

ge vu{kk k dj rs gS fd foHkkx lk; kJr ekuo 'kfä vks i kf/kdkfj ; kS l fgr vksfjd ys[kk i jh{k 'kk[kk dh Lfkki uk i j fopkj djA

## 2-2-27 fu"d"kl

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न पाई गई—

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे के अंदर लाने के लिए छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान नहीं किया गया।
- कर निर्धारण के लिए समय सीमा का अत्याधिक विस्तार किया गया फलस्वरूप कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव फलित हुआ। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए निर्धारण की अंतिम तिथि जून 2015 तक भी समाप्त नहीं हुई थी।
- आयुक्त ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 21 (3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया। आगे वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में टैक्स आडिट के लिए स्व-कर निर्धारण प्रकरणों का क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत ही चयन किया गया था।
- विभाग में ₹ एक लाख तक के क्रय पर आगत कर के सत्यापन तंत्र का अभाव था।
- विभाग ने वैसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया था और उस पर आगत कर की वापसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। यह ये इंगित करता है कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी की सुनिश्चितता का कोई निगरानी तंत्र नहीं था।
- आवर्त का छिपाव, आवर्त का गलत निर्धारण, गलत आगत कर प्रदाय किया जाना, वैट का अन/अवरोपण और घोषणा पत्रों के बिना अंतरराज्यीय व्यापारों पर छुट/रियायती दर अपनाने से राजस्व का रिसाव हुआ।

vU; ys[kki j h{k i kks kks

eW; l of/kj dj

## 2-3 eW; l of/kj dj dk vo@vukjks . k

### 2-3-1 dj dh xyr nj dk vu{z kx

i dj . kks ds dj fu/kkj . k ds nkjku] dj fu/kkj . k vf/kdkfj ; kS us vof' k"V  
ekyka i j xyr dj kjks . k fd; k QyLo: i ₹ 39-47 yk[k dj dk de  
vjkjks . k gvkA

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों<sup>16</sup> के 2,270 प्रकरणों में से 1,480 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) हमने पाया कि सात प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारियों ने कन्वेयर रॉलर और टोस्ट पर कम दर से करारोपण किया। उक्त माल छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची I और अनुसूची II के भाग I, भाग II, भाग III में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए अनुसूची II के भाग अनुसूची IV के प्रविष्टि I के अनुसार, ये माल अवशिष्ट माल के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण थे। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारियों ने शून्य एवं चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया जैसा कि rkfydk 2-13 में वर्णित है:

### rkfydk 2-13

*rk yk[k e/*

I	dkbkl dk uke	oLr/	dj fu/kkj .k o"kl%dj fu/kkj .k ekg o o"kl%	vuj ph @Hkkx@ oLr/	dj ; k; l dy foØ;	vkj ki .kh; @vkj kfir dj dh nj	dj dk vulkj ki .k@ vojkki .k	i k.k dh i dfUk
1.	वा.क.अ. I, कोरबा	कन्वेयर रॉलर	2006–07 एवं 2007–08 (मई 10 से अगस्त 11)	II / IV / 1	359.45	12.5 / 4	30.55	पाँच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि चार प्रकरणों में ₹ 17.43 लाख का राजस्व का अतिरिक्त मांग जारी किया गया। एक प्रकरण में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे स्वीकार प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)								
2.	वा.क.अ. II, रायगढ़	टोस्ट	2007–08 (अगस्त 10)	II / IV / 1	71.39	12.5 / 0	8.92	दो प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने टोस्ट को कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि दोनों प्रकरणों में मांग पत्र जारी किया गया है और रा.व.प्र. की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आगे प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)								
; kx				430-84			39-47	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने मालों के गलत वर्गीकरण के कारण वैट का कम दर का प्रयोग किया फलस्वरूप ₹ 39.47 लाख का कर अव/अनारोपण हुआ।

### 2-3-2 ykHk dk euekuh fu/kkj .k

I del I fonk i dj. kks ds dj fu/kkj .k ds nkj ku dj fu/kkj .k vf/kdkjh us pkVM , dkÅUVV ds I ij h{kk i fronuks dks vuns[kk fd; k vkj dj fu/kkj rh ds ykHk dks euekuh fu/kkj .k fd; k i fj .k keLo: i oV ₹ 5-15 yk[k dk de vkj ki .k gvkA

स.आ.वा.क.—V, संभाग II, रायपुर कार्यालय के 336 कर निर्धारण आदेशों के नमूना जांच (अक्टूबर 2013) में हमने पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2008–09 से संबंधित तीन प्रकरणों में व्यवसायी जो निर्माण का व्यवसाय करते थे ने ₹ 8.58 करोड़ का माल उपयोग किया। 2012–13 में कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने लाभ को 5 और 10.50 प्रतिशत मानते हुए ₹ 9.30 करोड़ का करयोग्य विक्रय निर्धारण किया।

यद्यपि, संपरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार जो छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 42(2) के अनुसार प्रकरणों में संलग्न किये गये थे लाभ 13.67 से 19.61 प्रतिशत के मध्य था। इसप्रकार चार्टड एकाऊन्टेंट द्वारा अपने संपरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित वास्तविक लाभ

<sup>16</sup>

वा.क.अ.—1, कोरबा एवं वा.क.अ.—2, रायगढ़

अनुसार कर योग्य विक्रय ₹ 10.10 करोड़ थी। आगे, इन प्रकरणों में कम दर पर लाभ का मनमानी निर्धारण और चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा उनके संपरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित का कोई कारण नहीं बताया गया।

अतः प्रकरणों का कर निर्धारण के दौरान चार्टड एकाउन्टेंट के संपरीक्षा प्रतिवेदनों को अनदेखा किया गया और लाभ के दरों का मनमानी आरोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का कम करयोग्य विक्रय निर्धारित किया गया फलस्वरूप ₹ 5.15 लाख का कम वैट का आरोपण हुआ जैसा कि /f/f'V 2-6 में वर्णित है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, के धारा 22(1) के अंतर्गत प्रकरणों को खोला जायेगा और ₹ 5.15 लाख का अतिरिक्त राजस्व का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

#### 2-4 vkxr dj dk vf/kd i nk; fd; k tkuk

dj fu/kkj. k vf/kdkj h us dj fu/kkfj rh }kj k Øhr dks yk ds dly ek=k ij i kr ds vnj foØhr dj ePr fo   r ds fuek lk ds fy, mi ; kfjr Hkkx dh deh fd; s fcuk vkxr dj i nk; fd; kA i fj. kkeLo: i ₹ 13-34 yk[k dk vkxr dj dk vf/kd i nk; gvkA
---

संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायुपर (मुख्यालय) के 799 कर निर्धारण प्रकरणों में से 287 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच (अप्रैल 2014) के दौरान हमने पाया कि एक प्रकरण में एक व्यवसायी जो स्पंज आयरन के निर्माण बिक्री और क्रय का व्यवसाय करता था, ने 2007–08 में ₹ 11.32 करोड़ का कोयला (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, के अनुसूची II में सम्मिलित) क्रय किया और अपने विद्युत संयंत्र में ₹ 7.38 करोड़ का कोयला विद्युत निर्माण में उपयोग किया। इसमें से ₹ 4.04 करोड़ का कोयला अपने स्पंज और स्टील आयरन डिवीजन में स्वयं उपयोग किया शेष कोयला ₹ 3.34 करोड़ (₹ 7.38 करोड़ – ₹ 4.04 करोड़) विद्युत ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया गया जो कि व्यवसायी द्वारा विक्रय किया गया।

चूंकि विद्युत ऊर्जा जो कि अनुसूची I में कर मुक्त माल में सम्मिलित है और बिक्री विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवसायी को नहीं किया गया था या भारत के बाहर (राज्य के अंदर कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है और प्रांत के अंदर बिक्री किया गया है) छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 13(1)(ब) के अनुसार कोयला (मूल्य ₹ 3.34 करोड़) का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन किया गया था और जो व्यवसायी द्वारा बेचा गया था, का आगत कर की कमी की जानी चाहिए था। यद्यपि प्रकरण के कर निर्धारण (अगस्त 2011) के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी ने कच्चे माल के रूप में कुल क्रीत कोयला (₹ 11.32 करोड़) पर ₹ 45.29 लाख (@ 4 प्रतिशत) का आगत कर प्रदाय किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.34<sup>17</sup> लाख आगत कर अधिक प्रदाय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरण को पुनः खोला गया है और छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। प्रकरण की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

#### dInh; foØ; dj

---

<sup>17</sup> कुल आगत कर प्रदाय = ₹ 45.29 लाख  
प्रदाय योग्य आगत कर (कोयला मूल्य ₹ 4.04 करोड़) = ₹ 31.95 लाख  
आगत कर का अधिक प्रदाय = ₹ 13.34 लाख

2-5 vrjjkT; h; foØ; tks ?kk"k. kki = I effkr ugha Fks ij dñnh;  
foØ; dj dk de vkjksi . k

dj fu/kkj . k vf/kdkj h }kj k ekyka dk vrjjkT; h; foØ; tks ʃ h^ Qkel  
I effkr ugha Fks ij 12-5 i fr'kr dh txg pkj i fr'kr dh nj l s  
djkjksi . k fd; k QyLo: i ₹ 45-45 yk[k jkf'k dk dñnh; foØ; dj dk  
de vkjksi . k gñv

स.आ.वा.क., संभाग II, रायपुर और वा.क.अ. I, कोरबा के 396 कर निर्धारण आदेशों के नमूना जांच के दौरान (जून 2013 एवं मई 2014 के मध्य) हमने पाया कि दो प्रकरणों एम.एस. और जी.आई<sup>18</sup> फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर और कन्वेयर रॉलर के अंतरराज्यीय विक्रय पर 'सी' फार्म समर्थित नहीं थे।

के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 के अनुसार घोषणा पत्र फार्म 'सी' के बिना अंतरराज्यीय व्यापार में ऐसे माल के बिक्री पर प्रांत के अंदर लागु कर की दर आरोपित होगी। एम.एस. और जी.आई फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर और कन्वेयर रॉलर छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II, के भाग I, II और III में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II के भाग IV के अनुसार, केन्द्रीय विक्रय कर की दर 12.5 प्रतिशत आरोपणीय थी। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारियों ने प्रकरणों में चार प्रतिशत की दर से कर निर्धारण के दौरान कम दर से करारोपण किया गया जो कि rkfydk 2-4 में वर्णित है:

### rkfydk 2-14

I a Ø-	bdkbz dk uke	oLrñ	dj fu/kkj . k o"kl dj fu/kkj . k dk kñkg o o"kl	dj; kñ; foØ; dk vkoñkl	vkjksi . kh; @ vkjksi r dj dh nj	dj dk vo@vukjksi . k	i ñk. k dh i ñfuk	
1.	स. आ. वा.क. संभाग—II, रायपुर	एम.एस. और जी.आई फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर	2008-09 (जून 2013)	कुल अंतरराज्यीय बिक्री ₹ 644.89 लाख जिसमें ₹ 427.02 लाख का 'सी' फार्म समर्थित नहीं	12.5 / 4	36.63	एम.एस. और जी.आई. फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II, के भाग I, II और III, में सम्मिलित नहीं थे। अतः के.वि.क. के 12.5 प्रतिशत कर की दर आरोपणीय था। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	
लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण किया गया था और ₹ 73.26 लाख का मांग पत्र जारी किया गया था। रा.व.प्र. के माध्यम से वसूली जारी है और व्यवसायी का बैंक खाते को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)								
2.	वा.क.अ. I, कोरबा	कन्वेयर रॉलर	2007-08 (अगस्त 2011)	103.77	12.5 / 4	8.82	कन्वेयर रॉलर अवशिष्ट माल होने के कारण के.वि.क. 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। यद्यपि कर	

							nirdharni adhikari ne char pratishtat ki dar se kararopan kiyia.
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण किया गया और ₹ 11.15 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली जारी है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)							
; kx	530-79			45-45			

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने प्रकरणों का कर निर्धारण के दौरान, के.वि.क. का सही दर का अनुप्रयोग नहीं किया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 45.45 लाख का के.वि.क का कम आरोपण हुआ।

## i ps' k dj

### 2-6 xyr nj ds vuij; kx l s i ps' k dj dk vo@vukj ksj . k

dj fu/kkj . k vf/kdkfj ; k }kj k ekyk ds i ps' k i j i ps' k dj dh nj dk xyr vuij; kx l s j kf' k ₹ 10-45 yk[k dk i ps' k dj dk de vkJ ksj . k
--

स.आ.वा.क. I, संभाग I, बिलासपुर एवं स.आ.वा.क. (मुख्यालय) रायपुर के 1544 कर निर्धारण अभिलेखों के जांच (मार्च 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य) के दौरान हमने पाया कि तीन प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर का सही दर का आरोपण नहीं किया जबकि एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची III, में विर्निदिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न कि बिक्री पर। आगे साइकिल, टायर ट्यूब और अन्य भाग पर 0.5 प्रतिशत एवं अनुसूची II और III में विर्निदिष्ट मालों पर एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। राज्य शासन प्रवेश कर की दरों और उनके अनुप्रयोग पर समय—समय पर अधिसूचनाएँ जारी करती हैं। प्रवेश कर पर गलत दरों के अनुप्रयोग की rkfydk 2-15 में वर्णित है:

## rkfydk 2-15

₹ yk[k ej

I & Ø	bdkbz dk uke	oLr{	dj fu/kkj . k o"kl dj fu/kkj . k dk yekg o o"kl	vuj iph@ vf/kl puk Ø- vkJ fnukd	dj ; kx; Ø; dk vkoUk	vkJ ksj . kh; @ vkJ kfj r dj dh nj	dj dk vo@ vukj ksj . k
1.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	बिटुमिन	2009-10 (अगस्त 2011)	III	529.60	1 / 0	5.30

बिटुमिन छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची III, में सम्मिलित है और सड़क निर्माण में उपयोग हुआ। अतः एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुका मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र जारी किया गया है। प्रकरण के आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	साइकिल, टायर ट्यूब और अन्य भाग	2007-08 (अगस्त 2011)	II	606.30	0.5 / 0	3.03
----	------------------------------------	---	-------------------------	----	--------	---------	------

साइकिल, टायर, ट्यूब और इनके भाग छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची II, में सम्मिलित हैं और

प्रवेश कर 0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय थी। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने कर का आरोपण नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र और रा.व.प्र. जारी किया जा चुका है। प्रकरण के आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	आयरन और स्टील	2007–08 (जुलाई 2011)	अधिसूचना क्र. 33 दिनांक 13. 04.2000	423.14	1.5 / 1	2.12
----	------------------------------------	---------------------	-------------------------	--	--------	---------	------

उक्त अधिसूचना के अनुसार, आयरन और स्टील जैसा कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के धारा 14 के उपबंध (IV) में विनिर्दिष्ट हैं को प्रांत के बाहर या प्रांत के अंदर से उक्त मालों के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। यद्यपि कर निर्धारण अधिकरण ने केवल एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र और रा.व.प्र. जारी किया गया। प्रकरण में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

; lkx

1558-04

10-45

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने अनुसूची और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सही प्रवेश कर की दरों को लागू नहीं किया फलस्वरूप ₹ 10.45 लाख प्रवेश कर का अव/अनारोपण हुआ।